न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

पिठासीन अधिकारी :— अमिता विश्नोई, आरएएस

जडाव कंवर बनाम तहसीलदार

अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	प्रकरण संख्या 06/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण में पैरोकार अभिभाषक उपस्थित :—
अधिवक्ता प्रार्थी :— श्री नैनुराम विश्नोई।
अप्रार्थी की ओर से :— राज—पैरोकार

—: निर्णय :—

दिनांक :— 13/05/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम ईशरू के खसरा नम्बर 698 रकबा 3.9093 हैक्टेयर की स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम जडाव कंवर पत्नी कानसिह के नाम भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी की भुमि के अलावा अन्य सभी कागजातों में पति का नाम खिंवसिह दर्ज हैं। तथा जमीन में नाम कानसिह गलत दर्ज होने पर पक्षकार को अनेक परेशानीयों का सामना करना पड रहा हैं। और पति के नाम को लेकर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसके लिए राजस्व जमावन्दी में पति का नाम सही एंव दुरूस्त करवानें हेतु हल्का पटवारी व भु.अभिलेख निरीक्षक से निवेदन किया गया कि वास्तविक पति के नाम के मुताविक जमाबन्दी में खिंवसिह दर्ज करना भु—अभिलेख अधिकारी का दायित्व हैं परन्तु इन्कार कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थी को भेजे गये समन की डाक रसीदें न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गयी।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार की तरफ से जबाब के साथ रिकार्ड जांच रिपोर्ट एंव मियुटेशन की प्रति प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट में बताया की नामान्तकरण संख्यां 579 में प्रार्थीया का नाम खातेदार भुमि में दर्ज हुंआ। स्वभाविक मानवीय सदभाविक भुल से जमावन्दी में कानसिह दर्ज हो कर गलत प्रविष्टि हुई हैं।

वर्तमान चालु जमावन्दी में कानसिह दर्ज हैं तथा तहसीलदार जांच रिपोर्ट अनुसार कानसिह के स्थान पर खिंवसिह सही नाम दर्ज किया जाने के लिए साक्ष्य स्वरूप सह—खातेदारान् ने तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश कर जडाव कंवर के पति का नाम मौका फर्द पर हस्ताक्षर कर उचित बताया है। तथा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का नाम कानसिंह से खिंवसिह किया जाना उचित है तथा जांच रिपोर्ट के तहत कानसिह के स्थान पर खिंवसिह किये जाने योग्य बताया है। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी की अन्तिम बहस सुनी गयी।

सहायक कलेक्टर बापिणी

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के पैरान को दौहराते हुऐ, जांच रिपोर्ट का समर्थन किया और बताया कि कानसिह से खिंवसिंह कर सही किया जावें और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं रिर्पोट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार बापिणी द्वारा नामान्तकरण व जांच रिपोर्ट सामिल मिशल किया गया और जांच रिपोर्ट व साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार नाम परिवर्तन किया जाना है। ओर प्रार्थी का नाम सही दर्ज करवाने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम ईशरू के खसरा नम्बर 698 की जमीन में प्रार्थी के पति का नाम कानसिह नाम सद्भाविक भुल के कारण गलत प्रविष्ठि हो गयी। तथा उक्त खसरान् की जमीन में कानसिह के स्थान पर खिंवसिह दर्ज सही कर करने की मौका फर्द पर सह–खातेदारान् के हस्ताक्षर एंव साक्ष्य शपथ पत्र तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैक खाता डायरी इत्यादि के आधार पर जडाव कंवर के पति का नाम परिवर्तित कर खिंवसिह किया जाना है तथा उक्त सभी दस्तावेजी रिपोटों के अनुसार प्रार्थी का नाम कानसिह के स्थान पर खिंवसिह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। कि तहसीलदार बापिणी तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में खिंवसिह दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाकर न्यायालय विनिश्चय की पालना सुनिश्चित करे। पालनार्थ सम्बधित को तहरीर ज़ारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/08/2025 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई, RAS)
सहायक.कलेक्टर उपखण्ड
अधिकारी बापिणी, फलौदी